मौसम

तापमान	नई दिल्ली
अधिकतम–18.5	सूर्योदय– 7:09
न्यूनतम– 9.2	सूर्यास्त– 18:00

अदालत ने कहा, यह नियम अब तक मौजूद क्यों

अकेले कार चलाते वक्त मास्क लगाना बेतुका

नई दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड–19 महामारी के मद्देनजर अकेले कार चलाते वक्त मास्क पहने रहना अनिवार्य करने संबंधी दिल्ली सरकार के आदेश को मंगलवार को 'बेतुका' करार दिया और कहा कि यह फैसला अब तक मौजूद क्यों है।

पीठ ने कहा, ''यह दिल्ली सरकार का एक आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया। यह असल में बेतुका है। आप अपनी ही कार में बैठे हैं और आप मास्क अवश्य लगाएं?' न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, 'यह आदेश अब भी मौजूद क्यों है?'' अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने एक ऐसी घटना साझा की, जिसमें मास्क नहीं पहने होने के कारण एक व्यक्ति का चालान किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय
DELHI HIGH COURT

दरअसल, वह व्यक्ति अपनी मां के साथ एक कार में बैठा हुआ था और वाहन की खिड़की के कांच ऊपर चढ़ा कर काफी पी रहा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि उच्च न्यायालय का सात अप्रैल, 2021 का वह फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसमें निजी कार अकेले चलाते वक्त मास्क नहीं पहने होने को लेकर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, 'कोई व्यक्ति कार की खिड़कियों की कांच ऊपर चढ़ा कर वाहन के अंदर बैठा हुआ है और उसका 2,000 रुपए का चालान काट दिया जा रहा है। एकल न्यायाधीश का आदेश बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।' उन्होंने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आदेश जब जारी किया गया था तब स्थिति अलग थी और अब महामारी लगभग खत्म हो गई है।

पीठ ने उन्हें जब यह याद दिलाया कि शुरुआती आदेश दिल्ली सरकार ने जारी किया था जिसे फिर एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी, इस पर मेहरा ने कहा कि चाहे वह दिल्ली सरकार का आदेश हो या केंद्र का, यह खराब आदेश था और उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। पीठ ने कहा, 'वह आदेश खराब था तो आप उसे वापस क्यों नहीं ले लेते।' एकल न्यायाधीश का 2021 का आदेश उस वक्त आया था जब उन्होंने वकीलों की चार याचिकाएं खारिज कर दी थी।

दिल्ली में कोरोना के मामले, संक्रमण दर और मौत में थोड़ी कमी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली/ नोएडा, 1 फरवरी।

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार सोमवार के मुकाबले मंगलवार को थोड़ी थमती दिखी। चौबीस घंटे में आने वाले नए मामले, संक्रमण दर और मौत में भी कमी दर्ज हुई है।

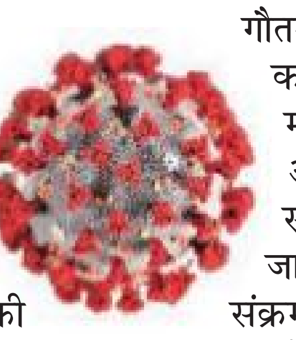

मंगलवार को दिल्ली में कोविड–19 के 2,683 नए मामले आए। संक्रमण से 27 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण की दर 5.09 फीसद रही। एक दिन पहले कोविड–19 के 2,779 नए मामले आए थे और 38 की मौत हुई थी। संक्रमण की दर 6.20 फीसद थी। रविवार को 3,674 नए मामले आए थे और 30 की मौत हुई थी तथा संक्रमण दर 6.37 फीसद दर्ज की गई थी। अभी दिल्ली में 16548 संक्रमित मामले हैं। यहां 108 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा 569 मरीज आइसीयू में हैं। दिल्ली में शनिवार को संक्रमण दर 7.41 फीसद थी और कोविड–19 के 4483 मामले आए थे और 28 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, गौतमबुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण के कारण मंगलवार को दो मरीजों की मौत हो गई है। तीसरी लहर में विगत आठ दिनों से लगातार रोजाना संक्रमितों की मौत का सिलसिला जारी है। आठ दिनों के भीतर कोरोना संक्रमण से 14 लोगों की मौत हुई है। जिला सर्विलांस अधिकारी डा सुनील दोहरे ने बताया मंगलवार को 287 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान दो मरीजों की मौत हुई है।

बलात्कार पीड़िता को दस लाख रुपए की मदद मिलेगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पूर्वी दिल्ली में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार युवती के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की और कहा कि सरकार फास्ट–ट्रैक कोर्ट में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक काबिल वकील की नियुक्ति करेगी।

पिछले हफ्ते, पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में सड़कों पर इस पीड़िता को उसके हमलावरों की ओर से कथित रूप से अपहरण, सामूहिक बलात्कार के बाद सार्वजनिक रूप से इलाके में घुमाया गया था। इस दौरान महिला के बाल कटे हुए थे, चेहरा काला किया गया था और उसके गले में जूते की एक माला डाली गई थी।

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा–मैंने इस बेटी की मदद के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि का आदेश दिया है। हम उसके लिए अच्छा वकील नियुक्त कर रहे हैं। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक में भी करेंगे।

गुरुद्वारे में घुसे चोरों ने पकड़े जाने पर मजदूर की हत्या की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी।

यमुना खादर स्थित नानकसर गुरुद्वारा में सोमवार रात चोरी करने घुसे कुछ बदमाशों ने एक मजदूर की चापड़ (बड़ा चाकू) से वार कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दौसा, राजस्थान निवासी खैराती लाल मौर्या (30) के तौर पर की गई है।

मौर्या ने यमुना खादर में लगे बिजली के टावर की पुताई करने का काम ठेके पर लिया हुआ था। हालांकि, मामले में पुलिस ने एक आरोपी श्रीराम कालोनी खजूरी खास निवासी फरमूद उर्फ प्रमोद (25) को गिरफ्तार कर लिया। वह पहले भी लूटपाट और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहा है। बाकियों की तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, खैराती लाल पिछले करीब 25 दिनों से नानकसर गुरुद्वारे के एक कमरे में बाकी मजदूरों के साथ रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं, जो राजस्थान में ही रह रहते हैं। खैराती खुद बाकी मजदूरों के साथ पुताई करते थे। सभी मजूदर गुरुद्वारे में ही सोते थे।

एक मजदूर संजय ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गुरुद्वारे में चोरी हो रही थी। इसकी जानकारी मजदूरों ने खैराती को दी थी। सोमवार रात को अचानक आहट के बाद मजदूरों की आंख खुली। खैराती व बाकी मजदूरों ने एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच आरोपी ने खैराती की गर्दन और चेहरे पर चापड़ से हमला कर दिया।

बाद में आरोपी फरार हो गए। खून से लथपथ खैराती को नजदीकी जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। बाद में पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया।

वाहन टकराने पर लालकिले के पास गोलीबारी, तीन घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी।

लालकिले के पास सोमवार रात वाहनों के टकरा जाने से दो पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने पर एक पक्ष ने जमकर गोलियां चलाई। इस दौरान तीन लोग घायल हो गए।

घायलों की पहचान आबिद, अमन और दिफराज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गोली तीनों के पैर, जांघ और पीठ में लगी है। तीनों अस्पताल में भर्ती हैं। गोलीबारी करने वाले फरार हैं।

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात को वाहनों के पुर्जे की आपूर्ति करने वाले मोहम्मद शाहिद अपनी पत्नी के साथ रात्रिभोज के बाद घर लौट रहे थे। शाहिद जब लालकिले के पास अंगूरी बाग इलाके में अपने घर के करीब पहुंचे, तब विपरीत दिशा से मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों का वाहन उनके दोपहिया वाहन से टकरा गया। दोनों पक्षों में बहस छिड़ गई। शाहिद ने मोटरसाइकिल सवारों से वाहन मरम्मत को कहा। इस दौरान लोग भी घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। घटनास्थल से भागने के लिए युवकों ने गोली चला दी।

महिला, परिवर्तन और समाज पर सवाल करती किताब

नई दिल्ली, 1 फरवरी (जनसत्ता संवाददाता)। हमें महिला सशक्तीकरण अपने आस–पास दिखता अवश्य है, लेकिन क्या हम इसका सही मायने में मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि वह सतही तो नहीं है? ऐसे ही तमाम सवालों पर बहस हुई वाणी प्रकाशन के मंच पर। मौका था काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी एवं भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी अभय कुमार ठाकुर की किताब 'स्त्रियों का अमृत महोत्सव कब होगा?' के आनलाइन लोकार्पण का।

चर्चा में अभय ठाकुर ने कहा कि यह पुस्तक उनके छात्र जीवन से लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी तक की यात्रा के विभिन्न पड़ावों का चिंतन है। काशी हिंदू विवि के महिला अध्ययन केंद्र की पूर्व समन्वयक रीता सिंह ने कहा कि इसका शीर्षक एक सवाल है और यह सवाल ठीक वैसा ही है जैसे मानवाधिकारों के बीच में महिला अधिकारों का सवाल खड़ा होता है। दिल्ली विवि के हिंदू कालेज के रामेश्वर राय ने कहा कि पुस्तक के शीर्षक का सवाल परिवर्तन और विकास के दावेदारों से किया गया सवाल है। दिल्ली विवि के मिरांडा हाउस कालेज की रेणु अरोड़ा ने कहा कि पुस्तक का सवाल उस बेचैनी की पहली सीढ़ी है कि आख़िर यह सब ऐसा क्यों है। वाणी प्रकाशन ग्रुप की कार्यकारी निदेशक अदिति माहेश्वरी गोयल ने भी परिचर्चा में शिरकत की।

'जारी रहेगी नई आबकारी नीति'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी।

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि उसकी 2021 की आबकारी नीति मार्च 2022 के बाद भी जारी रहेगी और अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं होगा।

आबकारी नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ को दिल्ली सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। दरअसल, शराब के एक थोक कारोबारी याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने कहा कि सावल में एक तात्कालिकता थी।

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

दिनांक 21.02.2022 और 07.03.2022 को सम्पत्ति की ई–नीलामी
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 19.02.2022 और 05.03.2022

क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी दिल्ली, डीडीए बिल्डिंग–1, वर्धमान टॉवर, प्रथम तल, पारस सिनेमा के पास, नेहरू प्लेस–110019 ईमेल: rosdelrec@canarabank.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को "जहां है जैसी है", "जो है क्या है" और जैसी है" के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधीन**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, जेपी रॉयले, प्रथम तल, # 218, द्वितीय मेन सम्पीज रोड (14वीं क्रॉस के पास) मल्लेश्वरम बंगलौर– 560003, वेबसाइट – **www.ccsl.co.in and https://indianbankseauction.com** संपर्क व्यक्ति श्री प्रताप कांजीलाल / श्री डी.डी. पाखरे – **9832952602/8898418010** लैंड लाइन **080-23469665** ईमेल: **ccsleauction@gmail.com or ccsl@ccsl.co.in** या केनरा बैंक की वेबसाइट **www.canarabank.com** में दिए गए लिंक "ई–नीलामी" को देखें।

आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत की ईएमडी राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में या नीचे वर्णित खाता नं. में आरटीजीएस / एनईएफटी / फंड ट्रांस्फर के माध्यम से जमा कराई जानी चाहिए।
प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर क्र. सं. 1 हेतु 18.02.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच और क्र. सं. 2 और 3 हेतु 04.03.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच सम्पत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	कर्जदार / गारंटर्स / बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल / अचल संपत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	क. आरक्षित मूल्य (रु.) ख. धरोहर राशि (रु.) ग. बोली वृद्धि (रु.) घ. बिक्री सूचना की तिथि	खाता नं. और IFSC कोड	ई–नीलामी की तिथि एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय
1	केनरा बैंक, ओखला एसएसआई शाखा, नई दिल्ली – 110020	1. मैसर्स आर.के. कंप्यूटर (उधारकर्ता) प्रोप. रवींद्र कुमार गुप्ता, एलएससी 115, प्रथम तल, डीडीए मार्केट, डी और ई पॉकेट, सरिता विहार, नई दिल्ली –110076 2. रवींद्र कुमार गुप्ता (प्रोपराईटर) मकान नं. 16ए, ब्लॉक एक्सटेंशन शिव दुर्गा विहार, फेज–1, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 3. रितु गुप्ता (गारंटर) मकान नं. 16ए, ब्लॉक एक्सटेंशन शिव दुर्गा विहार फेज–1, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा–121001	दुकान नं. 115, प्रथम तल, डीडीए मार्केट, पॉकेट डी और ई, सरिता विहार, नई दिल्ली–110076 में स्थित, (सरिता विहार पुलिस स्टेशन के पास) दुकान का क्षेत्रफल 17.91 वर्ग मी., चौहद्दी : उत्तर में – पार्किंग स्पेस, दक्षिण में – दुकान में प्रवेश, पूरब में – अन्य का दुकान, पश्चिम में – पश्चिम में – दुकान नं. 114 (भौतिक कब्जा)	रु. 20,14,392.28 दिनांक 28.01.2022 तक और दिनांक 29.01.2022 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	क. 29,00,000/- ख. 2,90,000/- ग. 10,000/- घ. 29-01-2022	खाता नं. 6971295000001 IFSC कोड: CNRB0006971	21-02-2022 दोपहर 12.30 बजे से अपां. 01.30 बजे के बीच 19.02.2022 अपां. 04.00 बजे तक
2	केनरा बैंक, नेहरू प्लेस शाखा	1. श्री रणबीर सिंह, बी–70 भूतल, अशोक एन्क्लेव सेक्टर 37, सराय ख्वाज, फरीदाबाद, हरियाणा–1210003 2. श्री रणबीर सिंह, फ्लैट नं. 303 तृतीय तल, सम्पत्ति नं. आर जेड 1414 और 1414ए, खसरा नं. 423 में से, गली नं. 28, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली –110018 3. श्रीमती चंदर मुखी (सह–उधारकर्ता), मकान नं. बी–70, अशोका एन्क्लेव, पार्ट 2 सेक्टर 37 सराय ख्वाजा, हरियाणा –1210032 4. श्रीमती सरोज बंसल (गारंटर) पत्नी श्री अशोक कुमार, 1697, गुजराल गली कोटला मुबारकपुर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	यूआरईएम सम्पत्ति फ्लैट नं. 303, तृतीय तल, सम्पत्ति नं. आर जेड – 1414 और 1414ए पर निर्मित, खसरा नं. 423 में से, (कुल क्षेत्रफल 317.50 वर्ग मी.) गली नं. 28, तुगलकाबाद एक्स., नई दिल्ली–110019 में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – प्लाट नं. 1414, पश्चिम में – प्लॉट नं. 1414, पश्चिम में – प्लॉट नं. 1414, उत्तर में – गली, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (भौतिक कब्जा)	रु. 58,13,287.54 दिनांक 28.01.2022 तक और दिनांक 29.01.2022 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	क. 27,54,000/- ख. 2,75,400/- ग. 6,000/- घ. 29-01-2022	खाता नं. 6971295000001 IFSC कोड: CNRB0006971	07-03-2022 दोपहर 12.30 बजे से अपां. 01.30 बजे के बीच 05.03.2022 अपां. 04.00 बजे तक
3	केनरा बैंक, अरबिंदो कॉलेज शाखा, नई दिल्ली – 110017	1. मैसर्स जी. के. कंस्ट्रक्शंस (उधारकर्ता) प्रोप. गुलशन कुमार मारवाह, एल–23–बी मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110017 2. श्री गुलशन कुमार मारवाह (प्रोपराईटर) एल–23–बी मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017	सम्पत्ति भूतल बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति नं. एल–23बी, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 में स्थित, क्षेत्रफल 125 वर्ग गज, चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. एल–23बी का (पार्ट), दक्षिण में – 50'–0" चौड़ा मेन रोड, पूरब में – प्लॉट नं. एल–23ए, पश्चिम में – 30'–0" चौड़ा रोड (सांकेतिक कब्जा)	रु. 1,21,41,928.34 दिनांक 28.01.2022 तक और दिनांक 29.01.2022 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	क. 1,94,00,000/- ख. 19,40,000/- ग. 10,000/- घ. 29-01-2022	खाता नं. 6971295000001 IFSC कोड: CNRB0006971	07-03-2022 दोपहर 12.30 बजे से अपां. 01.30 बजे के बीच 05.03.2022 अपां. 04.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता किसी भी अन्य विवरण
क्र.सं 1 हेतु : श्री अमित सिंह, मोबाईल नं. 9818890348, मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, ओखला एसएसआई शाखा, नई दिल्ली, फोन नं. 011-26922590
क्र.सं. 2 हेतु : श्री एच.एस. श्रीवास्तव, मो. नं. 9810886705 मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, नेहरू प्लेस शाखा, नई दिल्ली
क्र.सं. 3 हेतु : श्री पंकज कुमार, मो. नं. 9471758105, मंडल प्रबंधक, केनरा बैंक आरओ साउथ नई दिल्ली तथा श्री दिनेश कुमार झा मो. नं. – 9931795702, शाखा प्रबंधक, अरबिंदो कॉलेज शाखा, फोन नं. 011–26692227 किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय घंटों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक 29-01-2022, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

फॉर्म–ए
सार्वजनिक सूचना
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
हंसराज एग्रोफ्रेश प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	हंसराज एग्रोफ्रेश प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	29 अगस्त, 2014
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कानपुर
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित दायित्व पहचान	U15490UP2014PTC065749
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार पंजीकृत कार्यालय का पता: सी-23, दूसरा तल, स्वास्तिक गार्डेनिया शिवपुर, वाराणसी उप्र 221003
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	31 जनवरी, 2022 (एनसीएलटी आदेश की प्रति 01.02.2022 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	29 जुलाई, 2022
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	नाम: देव व्रत राणा, रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P-02567/2021-2022/13936
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	पता: शॉप नं. 5, बी.एस.एम. तिराहा, रूड़की, हरि सिंह मार्केट, हरिद्वार, उत्तराखंड- 247667 ईमेल आईडी: cadevrana@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली ईमेल तथा पता, यदि क्रम सं. 9 से अलग है	पता: शॉप नं. 5, बी.एस.एम. तिराहा, रूड़की, हरि सिंह मार्केट, हरिद्वार, उत्तराखंड- 247667 ईमेल आईडी: cirp.hapl@gmail.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	14 फरवरी, 2022
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	लागू नहीं
13.	श्रेणी में ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवाला पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध है।	क. weblink: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: उपरोक्त बिंदु 10 के अनुसार पता ख. लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच ने 31.01.2022 को **मै. हंसराज एग्रोफ्रेश प्राईवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।
मै. हंसराज एग्रोफ्रेश प्राईवेट लिमिटेड के लेनदार को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 14 फरवरी, 2022 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।
वित्तीय लेनदारों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों को अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रविष्टि नंबर 12 के अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसार श्रेणी से संबंधित वित्तीय ऋणधारकों को फार्म सीए में श्रेणी (एनए) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत सूचीबद्ध 3 दिवालियापन पेशेवरों से प्राधिकृत प्रतिनिधि की वरीयता को दर्शाना होगा।
गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

हस्ता./- देव व्रत राणा
अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर
हंसराज एग्रोफ्रेश प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02567/2021-2022/13936
पंजी. पता: शॉप नं. 5, बी.एस.एम. तिराहा, रूड़की, हरि सिंह मार्केट, हरिद्वार, उत्तराखंड- 247667
ईमेल आईडी: cadevrana@gmail.com, cirp.hapl@gmail.com

दिनांक: 02.02.2022
स्थान: रूड़की

प्रपत्र सं. आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
मैसर्स एएनडएन यूनीवर्स मार्केट रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 33बी, पॉकेट–सी, मयूर विहार–II, नॉर्थ लेक ऑफ त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली–110091 (इंडिया) में स्थित है
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **तारीख 26.03.2021** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते की ओर से
वास्ते एएनडएन यूनीवर्स मार्केट रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
अभिनंदन कुमार सिंह
(निदेशक)
डीआईएन : 07854538
तिथि : 26.03.2021
स्थान : दिल्ली

SBI
भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I, रिटेल
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015, फोन: 25419177, 25412977 ई–मेल: sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार(बी) / गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता (सम्पत्ति का भौतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	बकाया राशियां जिसकी वसूली हेतु सम्पत्ति बेची जा रही है	सम्पर्क हेतु प्राधिकृत का नाम एवं नं.	ई–नीलामी की तिथि प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ	ईएमडी और अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की अंतिम तिथि व समय, व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन माध्यम से RTGS/NEFT (हार्ड कॉपी)
1	श्रीमती गुरदीप कौर कथूरिया पत्नी श्री बलमीत सिंह कथूरिया, श्री बलमीत सिंह कथूरिया पुत्र श्री अरविंदर सिंह, श्रीमती हरजीत कथूरिया पुत्री श्री रावल सिंह बेदी, सभी: 16 / 14, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 श्रीमती गुरदीप कौर कथूरिया पत्नी श्री बलमीत सिंह कथूरिया, सी–29, प्रथम तल, वेस्ट एंड, नई दिल्ली–110021, श्रीमती गुरदीप कौर (निदेशक) (गारंटर) मैसर्स प्राइम इंटरग्लोब प्रा. लि., पंजी. कार्यालय: 187, मेजाइन तल, तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली–110006 गारंटर : मैसर्स प्राइम इंटरग्लोब प्रा. लि. पंजी कॉर्यालय – 187, मेजाइन फ्लोर, तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली–6, श्रीमती गुरदीप कौर (निदेशक) (गारंटर), मैसर्स प्राइम इंटरग्लोब प्रा. लि., ए–37, नारायणा इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110028, श्रीमती गुरदीप कौर (निदेशक) (गारंटर) मैसर्स प्राइम इंटरग्लोब प्रा. लि., गारंटर– मैसर्स प्राइम इंटरग्लोब प्रा. लि. ए–37, नारायणा इंडीस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110028, श्री बलमीत सिंह कथूरिया, (निदेशक), मैसर्स प्राइम इंटरग्लोब प्रा. लि., पंजी कॉर्यालय – 187, मेजाइन फ्लोर, तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली–110006	(PROPERTY ID : SBIN87326041884) रिहायशी यूनिट पुनर्विकसित संपत्ति अर्थात सम्पूर्ण प्रथम तल, (कवर्ड क्षेत्रफल 2518.34 वर्ग फीट और स्टिल्ट फ्लोर का लगभग 22.5% हिस्सा जिसमें स्वतंत्र प्रवेश द्वार / मार्ग शामिल हैं, जिसमें कारों की पार्किंग के लिए विशेष सुविधा है। एक भूमिगत जल भंडारण टैंक, जमीन के स्तर पर पीछे के हिस्से में एक जनरेटर सेट और एयर कंडीशनिंग यूनिट स्थापित करने के लिए स्थान, 22.5% अविभाजित के साथ पूरे निर्मित प्रथम तल के लिए विशेष रूप से एक लिफ्ट के साथ एक शाफ्ट और प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 500 वर्ग गज के फ्रीहोल्ड भूखंड में अविभाज्य अधिकार, नं. सी–29, प्रथम तल, वैस्ट एंड, नई दिल्ली–110021 में स्थित, सभी अधिकारों, शीर्षक और ब्याज, सहजता, विशेषाधिकार और उसके साथ, सभी फिटिंग, जुड़नार, कनेक्शन, संरचना के साथ, आम मार्ग, क्षेत्र, सीढ़ी और अन्य आम सुविधाओं में आनुपातिक अधिकारों के साथ, उसमें प्रदान की गई (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 905.00 लाख ₹ 90.50 लाख ₹ 1.00 लाख	रु. 8,41,80,142.00 दिनांक 17.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि	श्री बी आर धीरेन मो. नं. 8790997887	18-02-2022 दोपहर 12.00 बजे से अपां. 04.00 बजे तक,	दिनांक 17-02-2022 अपराह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले

सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय: 16-02-2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 03.00 बजे तक

ई–नीलामी हेतु नियम व शर्तें:–
1. ई–नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक वेबपोर्टल https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज ibapi के ई–नीलामी प्लेटफार्म https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp पर उपलब्ध है
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनवद्धता / प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।
सम्पत्ति(यों) की विक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो / ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. यह ई–नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी।
4. ई–नीलामी के अन्य नियम व शर्तें निम्नलिखित वेबसाईटों https://ibapi.in पर प्रकाशित की गई है।

दिनांक 01-02-2022, स्थान : नई दिल्ली
हस्ता0 / – प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

www.readwhere.com